संचिका स0–7 / विविध–45–02 / 2025– 115 (78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनाक– 05/03/2026

विषय:– लोक निजी भागीदारी के तहत् संचालित जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशिलियटि अस्पताल, कंकड़बाग, पटना एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच हुए Concession Agreement के अनुसार अस्पताल में राज्य सरकार के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत शैय्या का कोटा पर चयनित भर्त्ती हुए मरीजों के ईलाज के क्रम में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान–गैर–वेतन मद में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से रू० 15,00,00,000/-(रूपये पन्द्रह करोड़) मात्र एकरारनामा की कंडिका–29.5 के तहत् खोले गये Escrow Account में अंतरण की प्रशासनिक एवं व्यय निमित स्वीकृति।

आदेश:–स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जय प्रभा अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर लोक निजी भागीदारी योजना (PPP) के तहत् अतिविशिष्ट अस्पताल विकसित करने एवं संबंधित निविदा दस्तावेज (Bid Document) निष्पादित करने की स्वीकृति में मंत्रिपरिषद् की दिनांक–02.12.2014 की बैठक की मद सख्या–27 में प्राप्त है । पुनः जय प्रभा अस्पताल, कंकडबाग, पटना के परिसर में उपलब्ध 7.00 एकड रिक्त भूमि में लोक निजी भागीदारी के तहत् अतिविशिष्ट अस्पताल स्थापित करने हेतु सफल निविदादाता Global Health Private Limited (Medanta) को निविदा शर्त्तो के आधार पर Bid Document के अधीन 33 वर्षो के उपयोग की अनुमति एवं अतिविशिष्ट अस्पताल, Design, Build, Finance, Operate & Transfer के माध्यम से, निर्माण एवं संचालन हेतु उपलब्ध कराने, Letter of Award जारी करने तथा इस हेतु Concessionaire के साथ Concession Agreement हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक–18.08.2025 की बैठक में मद संख्या–06 में प्राप्त है ।

2– उक्त के आलोक मे लोक निजी भागीदारी के तहत् संचालित जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशिलियटि अस्पताल, ककडबाग, पटना एव स्वास्थ्य विभाग के बीच किये गये Concession Agreement की कडिका–29 के तहत् एकरारनामा अवधि तक विभाग को चिन्हित भर्ती हुए मरीजो के स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ (Healthcare Services) पर आने वाले व्यय की राशि का भुगतान किया जाना है एवं यह राशि कंडिका–29.5 के तहत् Escrow Account मे अतरित किया जाना है। उक्त मामले मे दिनांक–26 06 2025 को अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशिलियटि अस्पताल, ककडबाग, पटना से संबधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन में चिन्हित मरीजों के ईलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु गठित Escrow Account में विभाग की ओर से अंतरण हेतु बजट में अलग से प्रावधान करने का निदेश प्राप्त है एव इससे संबधित स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना स0–690(10) दिनांक–14 06 2023 एवं विभागीय आदेश सं0–769(10) दिनाक–04.07.2023 एव 217(10) दिनांक–07.03 2024 निर्गत किया गया है ।

3– उक्त के आलोक मे निदेशक, जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, ककडबाग, पटना के पत्रांक–208 दिनांक–12.12 2025 द्वारा किये गए अनुरोध के मद्देनजर Concessionaire Agreement के प्रावधानों के अनुरूप स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान–गैर–वेतन मद में उपबधित राशि मे से रू० 15,00,00,000/–(रूपये पन्द्रह करोड) मात्र के सहायक अनुदान एकरारनामा की कंडिका–29.5 के तहत् खोले गये Escrow Account मे अंतरण की प्रशासनिक एव व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

4– इस राशि के व्यय का वहन मांग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय– उपशीर्ष–0041 जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना विपत्र कोड–20-2210011100041, विषय शीर्ष–31 06– सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

5– जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, ककडबाग, पटना को सहायक अनुदान की यह स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प सं0–2199/वि0 दिनांक–24.03 2017, संकल्प स0–4443/वि0 दिनाक–14.06.2018, संकल्प सं0–12888/वि0, दिनांक–03 12.2024, वित्त विभागीय पत्रांक–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.1998 तथा विभाग के द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत विभिन्न परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है।

6– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होगें।

7– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक मे राशि की निकासी कर खाता अंतरण के माध्यम से जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, कंकडबाग, पटना को निम्नवत राशि अंतरित करायेगें :–

खाता का नाम– JAY PRABHA MEDANTA ESCROW ACCOUNT
बैंक का नाम– STATE BANK OF INDIA
शाखा– PBB Doctors Colony, Kankarbagh Patna
बैंक खाता संख्या–41310499002
IFSC- SBIN0004445

निदेशक, जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, ककडबाग, पटना चिन्हित मरीजो के इलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विभागीय अधिसूचना सं0–690(10) दिनांक–14 06 2023 के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएँगे।

8– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9– उक्त योजना को दिनाक–18 02 2026 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की कार्यवाही के ज्ञापांक–83(7बी०) दिनांक–18 02 2026 द्वारा अनुशसा प्राप्त है एवं स्कीम स्क्रीनिग समिति की दिनांक–20 02.2026 को आहूत बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- 205/लो0वि0/यो0वि0 दिनाक–20 02 2026 द्वारा अनुशंसा प्राप्त है ।

10– राज्यादेश प्रारूप मे आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या–07/विविध–45–02/2025 के पृष्ठ-26/टि0 मे प्राप्त है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–7/विविध–45– 02/2025–115(7B)/**स्वा0,** **पटना, दिनांक**–05/03/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक, जयप्रभा मेदान्ता सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल, ककडबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–7B एवं 10/ संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव